सीकरी, न्यायमूर्ति और तेजिंदर सिंह ढींढसा, न्यायमूर्ति

रितु- अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा और अन्य- उत्तरदाता

एलपीएनो 2012 की 1767

मार्च 4, 2013

A. लेटर्स पेटेंट, 1919 - खण्ड *X* - *नियुक्ति* - *प्रतीक्षा सूची* - *हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग* - *पांच अनुशंसित उम्मीदवारों को की गई नियुक्ति की पेशकश* - *एक ने नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और परिणामस्वरूप यह प्रतीक्षा सूची में पहले को पेश किया गया, इस तरह के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया* - *प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द* - *रिट याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में दूसरे स्थान पर था* - *रिट याचिका यह मानते हुए खारिज कर दी गई कि प्रतीक्षा सूची बनी रहेगी दिनांक 21.1.1998 के अनुदेशों के अनुसार एक वर्ष के लिए वैध* - *बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि अनुदेश दिनांक 7-10-1998 के अनुदेशों*

में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति केवल मूल प्रवर सूची के उम्मीदवारों द्वारा प्रभार ग्रहण न करने की स्थिति में की जाएगी - दिनांक 7-10-1998 के अनुदेश केवल स्पष्टीकरण प्रकृति के हैं और इस प्रकार एक वर्ष की प्रतीक्षा/दंड सूची की वैधता के संबंध में दिनांक 20-1-1998 के पूर्व अनुदेशों का अधिक्रमण नहीं करेंगे - एलपीए खारिज कर दिया गया।

यह आयोजित किया गया कि राज्य सरकार ने भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से उम्मीदवारों की नियुक्ति के विषय पर दिनांक 20.1.1988 को निर्देश जारी किए थे। इसके संदर्भ में, मुख्य सूची के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची सिफारिशों की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहनी थी और शेष उम्मीदवारों की सूची, यदि कोई हो, ऐसी अवधि के बाद समाप्त की जानी थी। इसी विषय पर दिनांक 7.10.1998 के बाद के अनुदेशों में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां केवल मूल चयन सूची से उस उम्मीदवार की स्थिति में की जाएंगी जो पोस्टर का प्रभार ग्रहण नहीं करता है यदि ऐसी सूची से कोई रिक्ति किसी अन्य कारण से खाली रह जाती है। हम अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि 7.10.1998 के बाद के निर्देश दिनांक 20.1.1988 के पहले के निर्देशों का स्थान लेंगे और इस तरह भर्ती एजेंसी द्वारा की गई सिफारिशों की तारीख से ऑनसाइकारोफा प्रतीक्षा/पैनसीएल सूची की अवधि की वैधता के संबंध में प्रतिबंध हटा देंगे। 'दिनांक 7.10.1998 के बाद के अनुदेश केवल स्पष्ट लाइसेंसधारी प्रकृति के थे और केवल मूल विज्ञापित रिक्तियों की सीमा तक प्रतीक्षा सूची को संचालित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ जारी किए गए थे। तदनुसार, हम मानते हैं कि जहां तक ऑनसाइकारोफ्थ प्रतीक्षा/पैनसीएल सूची की वैधता अवधि का संबंध है, दिनांक 20.1.1988 के अनुदेश अभी भी लागू रहेंगे।

(पैरा 7)

बी *लेटर्स पेटेंट 1919,* खण्ड *X - हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग - नियुक्तियां - प्रतीक्षा सूची दिनांक 20.1.1998 के अनुदेशों के अनुसार एक वर्ष के लिए वैध थी - दिनांक 8.4.2010 को पांच अनुशंसित उम्मीदवारों को की गई नियुक्ति का प्रस्ताव - किसी ने नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया - नियुक्ति के प्रस्ताव में इस आशय की स्पष्ट शर्त कि एक उम्मीदवार को 15 दिनों के भीतर अपने कर्तव्य का प्रभार ग्रहण करना होगा, ऐसा न करने पर नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द माना गया - नियुक्ति प्राधिकारी न*

12.1.2011 को लगभग आठ महीने की अवधि के बाद नियुक्ति की पेशकश की गई - परिणामस्वरूप यह 28.1.2011 को प्रतीक्षा सूची में पहले को पेश किया गया था, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया था - वह प्रस्ताव 15.2.2011 को रद्द कर दिया गया था - रिट याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में दूसरे स्थान पर था - रिट कोर्ट के समक्ष याचिका ली गई कि प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई थी - आयोजित, नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य था कि वह नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार न करने वाले मूल चयन सूची में चयनित उम्मीदवार पर तुरंत और उचित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करे - यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने तत्परता की भावना से काम किया होता, तो अपीलकर्ता का अधिकार सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से प्रतीक्षा/पैनल सूची के एक वर्ष की वैधता अवधि के भीतर अच्छी तरह से क्रिस्टलीकृत हो गया होता - निष्क्रियता नियुक्ति के प्रस्ताव में निहित शर्त के अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर मूल चयन सूची में उम्मीदवार को किए गए नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नहीं करने में राज्य सरकार की ओर से स्वयं ने स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को पराजित कर दिया है जिसके लिए प्रतीक्षा/पैनल सूची तैयार की गई थी - नियुक्ति प्राधिकारी की कार्रवाई मनमानी के दोष से ग्रस्त है - जैसे, बनाए नहीं रख सकते - प्रतिवादी-विभाग को 30 दिनों की अवधि के भीतर अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया।

यह निर्णय दिया गया कि पांच अनुशंसित अभ्यथयों को नियुक्ति का प्रस्ताव दिनांक 8-4-2010 को किया गया था। श्रीमती मंजू रानी ने कार्यभार ग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया और नियुक्ति के प्रस्ताव में स्पष्ट शर्त यह थी कि उम्मीदवार को 15 दिनों के भीतर अपने कर्तव्य का प्रभार ग्रहण करना होगा, ऐसा न करने पर नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द माना जाएगा। तथापि, मंजू रानी की नियुक्ति लगभग आठ महीने की अवधि के बाद दिनांक 12.1.2011 के विडीसी आदेश के बाद रद्द कर दी गई थी। नतीजतन, प्रतीक्षा सूची में एक उम्मीदवार, यानी श्रीमती कमलक्ष्मी कुमारी को 28.1.2011 को नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया था और जिसे 15.2.2011 को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण रद्द भी कर दिया गया था। इस मामले में प्रतिवादी-विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से स्पष्ट निष्क्रियता रही है। मंजू रानी के पक्ष में नियुक्ति का प्रस्ताव 8-4-2010 को किया गया था और स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे अप्रैल, 2010 के महीने में ही रद्द किया जा सकता था। नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह आठ महीने की अवधि के लिए इस मामले पर बैठे रहे और उसके बाद पलट जाए और अपीलकर्ता का बचाव के साथ सामना करे कि प्रतीक्षा/पैनल सूची की वैधता समाप्त हो गई है।

(पैरा 9)

आगे यह भी कहा गया कि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य था कि वह नियुक्ति के पद को स्वीकार न करने वाले मूल चयन सूची में चयनित उम्मीदवार पर तुरंत और उचित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करे। हालांकि, इस प्रस्ताव के संबंध में कोई झगड़ा नहीं होगा कि प्रतीक्षारत/पैनसीएल सूची में अपीलकर्ता के नाम को केवल पैनल में शामिल करने से उसे नियुक्त होने का अधिकार नहीं है, लेकिन समान रूप से यह राज्य सरकार को मनमाने ढंग से कार्य करने का लाइसेंस नहीं देगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर श्रीमती मंजू रानी के पक्ष में किए गए नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नहीं करने और योग्यता के क्रम में अगले उम्मीदवार को प्रश्नगत पद की नियुक्ति का प्रस्ताव देने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की निष्क्रियता को न्यायोचित ठहराता हो। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि हम विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक नियुक्ति के दावे से अवगत नहीं हैं, लेकिन केवल आरक्षित भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) महिला श्रेणी से संबंधित मूल पांच विज्ञापित रिक्तियों के संबंध में विधिवत चयनित उम्मीदवार के दावे के संबंध में हैं। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने तत्परता की भावना से काम किया होता, तो अपीलकर्ता का अधिकार प्रतीक्षा/पैनल सूची के एक वर्ष की वैधता अवधि के भीतर सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख यानी 27.1.2010 से प्रभावी हो जाता। नियुक्ति प्राधिकारी की कार्रवाई मनमानेपन के दोष से ग्रस्त है और इस तरह, बनाए नहीं रह सकती है।

(पैरा 11)

इसके अलावा , अन्यथा भी, प्रतीक्षा/पैनल सूची तैयार करने और ऐसी सूची को एक विशिष्ट अवधि के लिए परिचालित रखने का उद्देश्य यह है कि यदि किसी कारण से ऐसी अवधि के दौरान रिक्ति उत्पन्न होती है, तो चयन की पूरी प्रक्रिया को दोहराया नहीं जा सकता है और पहले से शुरू की गई चयन की प्रक्रिया ऐसी अवधि के लिए अच्छी होगी।

(पैरा 12)

आगे कहा गया है कि वर्तमान मामले में, नियुक्ति के प्रस्ताव में निहित शर्त के अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर श्रीमती मंजू रानी को किए गए नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नहीं करने में राज्य सरकार की निष्क्रियता ने स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को हरा दिया है जिसके लिए प्रतीक्षारत/पैनल सूची तैयार की गई थी जिसमें एपीसीएल लैंट का नाम विधिवत था।

(पैरा 13)

आरके मलिक, सम्राट मलिक के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट, /डब्ल्यूआर/एसी *अपीलकर्ता।*

बीएस राणा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मैं लारियाना।

तेजिंदर सिंह ढींडसा, न्यायमूर्ति

(एक) 'तत्काल आई. ओटर्स पेटेंट अपील 2011 की सिविल रिट याचिका संख्या 5980 में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.10.2012 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है।

(दो) कुछ तथ्य जो विवाद में नहीं हैं, उन्हें नोटिस की आवश्यकता होगी। उच्चतर 1 लारयाना कर्मचारी आयोग ने हिंदी शिक्षकों के 405 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन संख्या 6/2006 जारी किया। कुल 405 पदों में से 15 भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) श्रेणी के लिए आरक्षित थे। एक और ब्रेकअप प्रदान किया गया था जिसके तहत भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) महिला श्रेणी के लिए पांच पद आरक्षित किए गए थे। हरियाणा सरकार के दिनांक 26-7-1984 के अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती में कक्षा 1, 11, III और IV में 2 प्रतिशत पदों के लिए स्वतंत्रता सेनानी अनुसूचित जाति के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए इस शर्त पर आरक्षण प्रदान किया गया था कि ऐसा आरक्षण केवल तभी उपलब्ध होगा जब पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोटा सूटएबीएलसी कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जाता है। 'हाय अपीलकर्ता एक स्वतंत्रता सेनानी की पोती है। उन्होंने हिंदी शिक्षक के पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था और विज्ञापन संख्या 6/2006 के अनुसरण में चयन की प्रक्रिया के अधीन किया था। स्कूल शिक्षा विभाग को कर्मचारी आयोग से दिनांक 27-01-2010 को सिफारिशें प्राप्त हुईं। जिसके संदर्भ में, सीएक्स-स्क्रिकमेन (सामान्य) महिला श्रेणी के खिलाफ नियुक्ति के लिए जीवित उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी और प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों सहित दो उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। तदनुसार, भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) महिला श्रेणी से संबंधित पांच अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था। ऐसे पांच उम्मीदवारों में से मंजू रानी ने नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और प्रतिवादी-विभाग ने दिनांक 12.1.2011 के उनके नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, श्रीमती कमलक्ष कुमारी को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया, जिनका नाम दिनांक 28.01.2011 के प्रतीक्षा सूची के पत्र में था। लेकिन ऐसी पेशकश को भी स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए कमलेश कुमारी को नियुक्ति का प्रस्ताव 15-02-2011 को रद्द कर दिया गया। यह विधेयक ऐसी पृष्ठभूमि के विरुद्ध है कि अपीलार्थी प्रतीक्षा सूची में दूसरा उम्मीदवार होने के नाते भूतपूर्व सैनिक (महिला) श्रेणी के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित

अभ्यर्थी होने के नाते वर्ष 2011 की सिविल रिट याचिका संख्या 5980 दायर करके लिन्डी टीसीसीएचसीआर के पद पर नियुक्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है, जो पद रिक्त रह गया है।

(तीन) 'उच्च रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस तर्क पर खारिज कर दिया गया है कि प्रतीक्षा सूची की वैधता, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता का नाम शामिल है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध रहना था, दिनांक 20.1.1988 के निर्देशों के अनुसार और चूंकि यह अवधि 26.1.2011 को समाप्त हो गई थी, याचिकाकर्ता का दावा दिनांक 6.10.2012 के आक्षेपित निर्णय का हिस्सा निम्नलिखित शब्दों में नहीं है:

> *"दिनांक 20.1.1988 (अदालत में पेश) के निर्देशों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची सिफारिश के एक वर्ष के लिए वैध रहेगी। प्रतिवादियों के अनुसार, आयोग से विभाग को 27.1.2010 को सिफारिशें प्राप्त हुई थीं और इसलिए, (वह चयन सूची 26 से पहले और किसी भी मामले में समाप्त हो जाएगी। जे .2011। यहां तक कि कमलेश कुमारी को दिनांक 28-01-2011 को दी गई नियुक्ति भी हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिनांक 20-01-1988 के अनुदेशों का उल्लंघन थी और इसलिए, यदि उक्त नियुक्ति प्रस्ताव के कारण हुई निरस्तीकरण भी दिनांक 15-2-2011 (अनुबंध पी-4) के आदेश के तहत किसी ऐसे अभ्यर्थी को कोई अधिकार नहीं देगा जो या तो मुख्य सूची में था या प्रतीक्षा सूची में था। उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए जो किसी अन्य श्रेणी से संबंधित है जिसके लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं किया गया है और मुख्य श्रेणी के उम्मीदवार के मामले में नियुक्ति दी जानी थी, उपलब्ध नहीं था। वर्तमान मामले में, पद आरक्षित ईएसएम श्रेणी के थे और चूंकि याचिकाकर्ता स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी से संबंधित है, इसलिए उसे नियुक्ति का अधिकार केवल तभी होगा जब पद ईएसएम श्रेणी से खाली रहें और सिफारिश सूची का जीवन समाप्त होने से पहले (टोपी लू)। याचिकाकर्ता को दिनांक 20.1.1998 के विशिष्ट निर्देशों के आलोक में कोई अधिकार नहीं है, जो आयोग द्वारा सिफारिशों की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक नियुक्ति पर रोक लगाता है।"*

(चार) अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आरके मलिक का तर्क है कि अपीलकर्ता के दावे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि प्रतीक्षा/पैनल सूची की वैधता 20.1.1988 के निर्देशों के एचजीजेआईटी में समाप्त हो गई है। यह तर्क दिया गया है कि बाद में दिनांक 7.10.1998 के अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें यह परिकल्पना की गई थी कि नियुक्तियां विज्ञापित रिक्तियों की सीमा तक सीमित की जानी थीं और प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति तब करनी होगी जब मूल चयन सूची के डॉक्स में से कोई उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति खाली रहती है। उठाया गया तर्क यह है कि दिनांक 7.10.1998 के बाद के निर्देशों ने दिनांक 20.1.1988 के पहले के निर्देशों का स्थान ले लिया है और इस तथ्य के आलोक में कि भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) महिला श्रेणी से संबंधित एक रिक्ति खाली रह गई है, अपीलकर्ता को दिनांक 7.10.1998 के निर्देशों के आलोक में ऐसी रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किए जाने का अधिकार निहित था। यह भी तर्क दिया गया है कि आसानी से, सभी वास्तविक विज्ञापित पदों को उपयुक्त चयनित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने के कारण नहीं भरा जाना चाहिए, तो विज्ञापन देने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने मनमाने ढंग से कार्य किया है क्योंकि मंजू रानी को आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी और उन्होंने नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य था कि वह 15 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति के ऐसे प्रस्ताव को रद्द कर दे और योग्यता के क्रम में अगले उम्मीदवार को एक प्रस्ताव दे। यह तर्क दिया गया है कि यदि इस तरह के अभ्यास को लगन से किया गया होता, तो डाई अपीलकर्ता ने 20.1.1988 के पहले के निर्देशों के अनुसार भी प्रतीक्षा/पैनल सूची के लिए निर्धारित जीवन काल के भीतर नियुक्ति प्राप्त कर ली होती। 1. अर्जित वरिष्ठ वकील ने अनुबंध पी 6 और पी 7 में दस्तावेजों का विज्ञापन करके भेदभाव की दलील भी दी है, जिन्हें रिट अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर रखा गया था, यह तर्क देने के लिए कि चयन की उसी प्रक्रिया के अनुसरण में, 8.9.2012 को देर से हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्तियां की गई हैं।

(पाँच) इसके विपरीत, विद्वान राज्य के वकील ने इस तर्क के संदर्भ में आक्षेपित निर्णय का बचाव किया है कि दिनांक 7.10.1998 के बाद के निर्देश दिनांक 20.1.1988 के पूर्व निर्देशों के केवल पूरक प्रकृति के थे और इन्हें संयुक्त रूप से पढ़ने की आवश्यकता होगी न कि एक-दूसरे के अलगाव में। विद्वान वकील यह तर्क देंगे कि प्रतीक्षा/पैनल सूची को सिफारिशों की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए जीवित रहना था और

इस तथ्य के आलोक में कि विभाग को आयोग से 27.1.2010 को सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, अपीलकर्ता का प्रतीक्षारत/पैनसीएल सूची में नाम आने के कारण हिंदी शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग करने का अधिकार, यदि कोई हो, 26.1.2011 को ही समाप्त हो गया था। राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि चयन प्रतीक्षारत/पैनसीएल सूची केवल उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की एक सूची है और वही दस्तावेज ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के किसी भी अपरिहार्य अधिकार के साथ नहीं रखते हैं। राज्य के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-आयोग की सिफारिशें प्रकृति में केवल निर्देशिका थीं और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश की रिट जारी करने के माध्यम से लागू करने योग्य नहीं थीं।

(छः) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड पर दलीलों का अवलोकन किया है।

(सात) राज्य सरकार ने भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से उम्मीदवारों की नियुक्ति के विषय पर दिनांक 20-1-1988 को अनुदेश जारी किए थे। इसके संदर्भ में, मुख्य सूची के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची सिफारिशों की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहनी थी और शेष उम्मीदवारों की सूची, यदि कोई हो, ऐसी अवधि के बाद समाप्त की जानी थी। इसी विषय पर दिनांक 7-10-1998 के बाद के अनुदेशों में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां मूल चयन सूची के उस उम्मीदवार के पद का प्रभार न ग्रहण करने की स्थिति में ही की जाएगी जो पद ग्रहण नहीं करेगा अथवा यदि ऐसी सूची से कोई रिक्ति किसी अन्य कारण से भरी नहीं गई हो। हम अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि 7.10.1998 के बाद के निर्देश दिनांक 20.1.1988 के पहले के निर्देशों का स्थान लेंगे और इस तरह भर्ती एजेंसी द्वारा की गई प्रतीक्षा/पैनसीएल सूची की एक वर्ष की अवधि की वैधता के संबंध में प्रतिबंध हटा देंगे। दिनांक 7-10-1998 के बाद के अनुदेश केवल स्पष्टीकरण स्वरूप के थे और केवल विज्ञापित मूल रिक्तियों की सीमा तक प्रतीक्षा सूची को परिचालित करने के स्पष्ट उद्देश्य से जारी किए गए थे। तदनुसार, हम मानते हैं कि जहां तक प्रतीक्षा/पैनसीएल सूची की एक वर्ष की वैधता अवधि का संबंध है, दिनांक 20.1.1988 के निर्देश अभी भी लागू रहेंगे।

(आठ) अब यह सवाल विचारणीय है कि क्या वर्तमान मामले में राज्य की कार्रवाई में कोई मनमानी हुई है?

(नौ) स्वीकृत तथ्य जो प्रकृति में स्पष्ट हैं, उन्हें पुनरावृत्ति की आवश्यकता होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशें प्रतिवादी विभाग से दिनांक 27-01-2010 को प्राप्त हुई थीं। (एचईईएसएम (सामान्य) महिला श्रेणी के लिए निर्धारित पांच रिक्तियों के लिए पांच उम्मीदवारों की विधिवत सिफारिश की गई थी। अपीलकर्ता सहित दो उम्मीदवारों के नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल थे। पांच अनुशंसित अभ्यथयों को दिनांक 08-04-2010 को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था।

श्रीमती मंजू रानी ने कार्यभार ग्रहण नहीं करने का निर्णय लिया और नियुक्ति के प्रस्ताव में स्पष्ट शर्त इस आशय की थी कि एक उम्मीदवार को 15 दिनों के भीतर अपने कर्तव्य का प्रभार ग्रहण करना होगा, जिसमें विफल रहने पर नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नेतृत्व के रूप में माना जाएगा। वीआईडीसी आदेश दिनांक 12.1.2011। नतीजतन, प्रतीक्षा सूची में एक उम्मीदवार, यानी श्रीमती कमलक्ष्मी कुमारी को 28.1.2011 को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था और जिसे 15.2.2011 को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण रद्द भी कर दिया गया था। इस मामले में प्रतिवादी-डीसीपार्टएमसीएनटी/एपीओआई अथॉरिटी की ओर से स्पष्ट निष्क्रियता रही है। मंजू रानी के पक्ष में नियुक्ति का प्रस्ताव 8-4-2010 को किया गया था और स्वीकार नहीं किया गया था, जिसे अप्रैल, 2010 के महीने में ही रद्द किया जा सकता था। नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह आठ महीने की अवधि के लिए इस मामले पर बैठे रहे और उसके बाद पलट जाए और अपीलकर्ता का बचाव के साथ सामना करे कि प्रतीक्षा/पैनल सूची की वैधता समाप्त हो गई है।

(दस) आरएस मित्तल बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुछ इसी तरह का और प्रासंगिक मुद्दा विचार के लिए आया था। भारत संघ, 1995 (3) एससीटी 284। विधिवत गठित चयन बोर्ड ने चयनित उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया था जिसमें अपीलकर्ता का नाम नामत आरएस मित्तल शामिल था और सिफारिशें 25-1-1988 को केन्द्र सरकार को विचारार्थ भेजी गई थीं। तथापि, केन्द्र सरकार ने कोई नियुक्ति नहीं की और 22-2-1990 को इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए नया विज्ञापन जारी किया। भारत संघ की ओर से इस तरह की कार्रवाई का बचाव करने की मांग की गई थी, इस दलील पर कि पैनल का जीवनकाल 18 महीने की अवधि के लिए था और जुलाई में समाप्त हो गया
1989 ही। भारत संघ की ओर से लिए गए रुख को खारिज करते हुए और डायल करने के लिए नियुक्ति रिक्ति की उपलब्धता के उचित समय के भीतर और उसके बाद अगले उम्मीदवार को पेश की जानी चाहिए थी, यह निम्नलिखित शब्दों में देखा गया था:

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि एससीएलसीटी पर एक व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं है जिसके लिए उसे चुना गया है। उसे नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। लेकिन साथ ही, नियुक्ति प्राधिकारी चयन-पैनल की अनदेखी नहीं कर सकता है या अपनी मर्जी से नियुक्ति करने से इनकार नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति का चयन चयन बोर्ड द्वारा कर लिया गया है और उसकी योग्यता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे कोई रिक्ति दी जा सकती है, तो सामान्यत नियुक्ति के लिए उसकी उपेक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान मामले में, सरकार की ओर से केवल निष्क्रियता रही है। न्यायोचित कारण की बात न करने का कोई कारण नहीं बताया गया कि उम्मीदवारों को शीघ्रता से और कानून के अनुसार नियुक्तियां

क्यों नहीं दी गईं। नियुक्ति रिक्ति की उपलब्धता के उचित समय के भीतर श्री मुरगोड को और उसके बाद अगले उम्मीदवार को पेश की जानी चाहिए थी। इस मामले में केंद्र सरकार का रवैया पूरी तरह से अनुचित था।

(ग्यारह) वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य था कि वह मूल चयन सूची में चयनित उम्मीदवार पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार न करने पर तुरंत और उचित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करे। हालांकि, इस प्रस्ताव के संबंध में कोई झगड़ा नहीं होगा कि प्रतीक्षारत/पैनल सूची में अपीलकर्ता के नाम को केवल सूचीबद्ध करने से उसे नियुक्त होने का अधिकार नहीं है, लेकिन समान रूप से यह राज्य सरकार को मनमाने ढंग से कार्य करने का लाइसेंस नहीं देगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर श्रीमती मंजू रानी के पक्ष में की गई नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नहीं करने और योग्यता के क्रम में अगले उम्मीदवार को प्रश्नगत पद की नियुक्ति का प्रस्ताव देने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की निष्क्रियता को न्यायोचित ठहराता हो। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि हम विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक नियुक्ति के दावे से अवगत नहीं हैं, लेकिन केवल संबंधित मूल पांच विज्ञापित रिक्तियों के संबंध में एक विधिवत चयनित उम्मीदवार के दावे के संबंध में आरक्षित भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) महिला श्रेणी। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने तत्परता की भावना से काम किया होता, तो अपीलकर्ता का अधिकार सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख यानी 27.1.2010 से प्रतीक्षा/पैनल सूची के एक वर्ष की वैधता अवधि के भीतर अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता। नियुक्ति प्राधिकारी की कार्रवाई मनमानेपन के दोष से ग्रस्त है और इस तरह, बनाए नहीं रह सकती है।

(बारह) अन्यथा, प्रतीक्षा/पैनल सूची तैयार करने और ऐसी सूची को एक विशिष्ट अवधि के लिए चालू रखने का उद्देश्य यह है कि यदि किसी कारण से ऐसी अवधि के दौरान रिक्ति उत्पन्न होती है, तो चयन की पूरी प्रक्रिया को दोहराया नहीं जा सकता है और पहले से शुरू की गई चयन की प्रक्रिया ऐसी अवधि के लिए अच्छी होगी। इस संबंध में अजमेर सिंह बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है। हरियाणा राज्य और अन्य, 1997 (1) सीएलजे (सेवा) 86 और रघबीर चंद शन्ना बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1997 (1) सीएलजे (सेवा) 86 और रघबीर चंद शन्ना बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1997 (1) सीएलजे (सेवा) 86 और रघबीर चंद शन्ना बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, पंजाब राज्य, 1992 (1) आरएसजे 195।

(तेरह) वर्तमान स्थिति में, नियुक्ति के प्रस्ताव में निहित शर्त के अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर श्रीमती मंजू रानी को किए गए नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द नहीं करने में राज्य सरकार की निष्क्रियता ने स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को हरा दिया है जिसके लिए प्रतीक्षारत/पैनल

सूची तैयार की गई थी जिसमें अपीलकर्ता का नाम विधिवत था।

(चौदह) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम तत्काल अपील की अनुमति देते हैं और 2011 की सिविल रिट याचिका संख्या 5980 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 6.10.2012 के आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी विभाग निर्णय की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर हिंदी शिक्षक के पद के लिए अपीलकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करेगा। हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

(पंद्रह) अपील की अनुमति दी।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा